पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मल्टी सेक्टोरल कर्न्वजेंस: असुरक्षित बच्चों के संरक्षण हेतु जिला इंदौर द्वारा किये जा रहे कार्य

- **संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वांगीणविकास के लिये निर्धारित किये गये 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 थीमों में समाहित किया गया है। जिनमें निम्न थीमों के आधार पर बाल संरक्षण एवं अधिकारी हेतु कार्यवाही की जा रही है-**

1. बाल हितैषी पंचायतें
2. स्वस्थ पंचायतें
3. लैंगिक समतुल्यता युक्त ग्राम पंचायतें

उपरोक्त थीम के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाहियां की जा रही है-

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्‌वारा प्रदेश के सभी पंचायतराज प्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण के द्‌वारा बाल संरक्षण एवं अधिकार के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।

- **शिक्षा-**

अ. ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बच्चों का शत् प्रतिशत नांमाकन करने के लिये स्थानीय प्रशासन द्वारा पहल करना, बच्चों की विद्यालयों में निरंतर उपस्थित बनाये रखना।

ब. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना।

स. शिक्षकों की समयानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना।

द. ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं विद्यालयों में खेल मैदान एवं सुरक्षित पेयजल तथा छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग शौचालय बनवाना।

- **बाल श्रम से मुक्ति-**

अ. ग्राम पंचायतों द्‌वारा शत् प्रतिशत बालश्रम मुक्त ग्राम पंचायते रखना।

ब. बच्चों का विस्थापन रोकना।

स. अवैध व्यापार में लगे बच्चों को मुक्त करना।

द. बाल श्रम, बाल उत्पीड़न एवं बाल विवाह से बच्चों को रोकना।

- **स्वास्थ्य-**

अ. बच्चों को स्वस्थ रखने के लिये समय-समय पर टीकाकरण, एएनसी एवं पीएनसी चेकअप की निगरानी करना।

ब. पोषण आहार एवं जागरूकता शिविर आयोजित करना।

स. कुपोषण, बाल मृत्य दर प्रतिरक्षा हेतु प्रयास करना।

द. आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में न्यूट्री गार्डन की स्थापना करना।

- **सहभागी विकास-**

अ. बच्चों को जागरूक करने हेतु विभिन्न विकास की गतिविधियों में भागीदारी करना।

ब. बालसभाओं का आयोजन करना।

स. विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में किशोर समूहों की भागीदारी कराना।

द. ग्राम संगठनों द्वारा अमृतकाल में बच्चों को शपथ दिलाना।

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत अगल-अलग प्रशिक्षणों का आयोजन कर ग्राम स्तर पर निगरानी करना।

धन्यवाद।